समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री राजेश कुमार यादव, पे0-स्व0 उत्तम लाल यादव, सा0-भिरखी वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा ने अपने नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-02/2013 (मधेपुरा थाना) का सीमा क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य विस्तार करने हेतु आवेदन दिया है। इन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि ट्रान्सपोर्ट के रूप में यदुवंशी कृष्ण रथ के नाम से बस उत्तरी बिहार व कई जिला परिचालन एवं अन्य कारोबार है एवं एक जिला से दूसरे जिले में जाना-आना पड़ता है, जिस कारण जान-माल पर खतरा बना रहता है। निर्गत रायफल अनुज्ञप्ति सं0-02/2013 का सीमा क्षेत्र मधेपुरा जिला तक हीं सीमित है। फलस्वरूप सुरक्षार्थ शस्त्र ले जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति का सीमा क्षेत्र विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री यादव से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि इनका आवेदन पत्र गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1771, दिनांक-15.02.2006 की कंडिका-''ख'' में निहित शर्तों के अनुरूप है तथा आवेदक को जान-माल का खतरा है। इसलिए इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति का सीमा विस्तार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः संबंधित संचिका के टिप्पणी पृष्ट-22/टि0 पर जिला दण्डाधिकारी महोदय, मधेपुरा द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में श्री राजेश कुमार यादव, पे0-स्व0 उत्तम लाल यादव, सा0-भिरखी वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-02/2013 (मधेपुरा थाना) का सीमा क्षेत्र मधेपुरा जिला के स्थान पर सम्पूर्ण बिहार राज्य आदेश निर्गत की तिथि से **एक वर्ष के लिए विस्तारित** किया जाता है। निर्धारित अवधि समाप्ति उपरान्त स्वतः अनुज्ञप्ति का सीमाक्षेत्र मधेपुरा जिला माना जाऐगा। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर विधिवत इन्द्राज करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

श्री राजेश कुमार यादव, पे0-स्व0 उत्तम लाल यादव, सा0-भिरखी वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे चलान के माध्यम से विहित शुल्क जमा कर चलान की एक प्रति एवं अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यक प्रविष्टि किया जा सके।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक....58....../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-....16..../....03..../2017

प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार यादव, पे0-स्व0 उत्तम लाल यादव, सा0-भिरखी वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।